



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की सोमवार, दिनांक 21.04.2025 को मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.02.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	दिशा कॉलेज, रामनगर कोटा रोड, रायपुर	B.A.-II Year- (आ.पा., समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र)	60	2024-25	- डॉ. शैल शर्मा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर - डॉ. प्रियंवदा श्रीवास्तव, मनोविज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर - डॉ. आर.के. ब्रह्मे, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर - डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
निरीक्षण तिथि : 01.03.2025 - समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता - पंजीकृत है। - समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि - 6.177 एकड़ - इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि - 35 लाख - शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि - वैध है। - महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - स्वयं का भवन है। - महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता - पर्याप्त कक्षा उपलब्ध है। - यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता - उपलब्ध है। - प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - उपलब्ध है। - प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता - परिनियम 28 के तहत नियुक्त शिक्षक हिन्दी - 01, समाजशास्त्र - 01, अर्थशास्त्र - 01 नियुक्त है। - ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता - पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध है। - महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ - आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है। - यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? - 02 शिक्षक की नियुक्ति परिनियम 28 के तहत किया गया है। - अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें - --- - कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके - प्रस्तावित पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की शिक्षक महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध है। मनोविज्ञान राज. विज्ञान, इतिहास विषय हेतु परिनियम 28 के तहत शिक्षक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।					

स्थायी सम्बद्धता

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर, जिला-रायपुर	M.A. Hindi	25	2024-25	1. डॉ. शैल शर्मा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. माया वर्मा, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. राजेश कुमार दुबे, शास. महावि. भाटागांव, रायपुर
निरीक्षण तिथि : 12.04.2025 1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता - N.A. 2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि - N.A. 3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि - N.A. 4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि - N.A. 5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं - स्वयं का भवन है। 6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता - पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता-N.A. 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता - N.A. 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता - उपलब्ध : 2 स्वीकृत पद आवश्यकता 1 प्राध्यापक, 2 सहा. प्राध्यापक (एक शिक्षक की नियुक्ति की शर्त की पूर्ति हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार व्यवस्था की जाए) 10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता - पर्याप्त उपलब्ध 11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ - विभाग कक्षा, अध्यापन कक्ष, प्रसाधन कक्ष आदि सुविधाएं उपलब्ध। 12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?- पुस्तकों की व्यवस्था कर दली गई है। कक्ष उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। एक शिक्षक की पूर्ति किया जाना है। 13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें - आवश्यकता नहीं 14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके - स्वीकृत /कार्यरत के अतिरिक्त एक शिक्षक की व्यवसा किया जाना आवश्यक।					

04. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यादेश क्रमांक 210 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी ड्राफ्ट रेगुलेशन के उल्लेखित प्रावधानों के संबंध में विचार करना।

टीप: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यादेश क्रमांक 210 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी ड्राफ्ट रेगुलेशन के उल्लेखित प्रावधानों के तहत निम्न बिंदुओं पर जानकारी की आवश्यकता है -

1. ATKT संबंधित स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता।
2. अध्यादेश क्र. 210 के बिंदु क्र. 8.7 में उल्लेखित Grace दिये जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराया जाना है।
3. भूतपूर्व छात्र (EX) किस स्थिति में होगा।
4. आंतरिक मूल्यांकन में Absent होने पर परीक्षा परिणाम क्या होगा, रेगुलेशन के बिंदु क्र. 10, 11 में आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है।

5. अध्यादेश क्र. 210 के बिंदु क्र. 13.2 में उल्लेखित पुनर्गणना के प्रावधान से संबंधित जानकारी।
6. अध्यादेश क्र. 210 के बिंदु क्र. 12 के अनुसार conversion of Percent के अंतर्गत छात्र/छात्राओं को प्रतिशत प्रदान करने संबंधित।
7. रेगुलेशन के बिंदु क्र. 16 में उल्लेखित Chalange Valuation से संबंधित जानकारी (Fee/Remuneration etc.)
8. अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) के माध्यम से प्रवेश देने के संबंध में प्रावधान
9. अन्य विषयों से संबंधित क्रेडिट अंक का निर्धारण।
10. परिणाम में विवाद/संशोधन की स्थिति में अंतिम निर्णय।

उपर्युक्तानुसार बिन्दुओं की जानकारी के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

05. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग की कक्षा के शुल्क एवं सीट निर्धारण के संबंध में विचार करना।

टीप: शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में सत्र 2025-26 से प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग पाठ्यक्रम के लिये 30 सीट निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त पाठ्यक्रम के लिये फीस 20000/- (रु. बीस हजार मात्र) प्रति सेमेस्टर निर्धारित किये जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

06. अध्यादेश क्र. 170 (2)(e) में "B.Sc. in Biological Sciences Shall be eligible for admission in M.Sc. Microbiology" एवं अध्यादेश क्र. 170 (2)(p) "M.Sc. Data Science" समाहित किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: (1) अध्यादेश क्र. 170 की कंडिका (2) की उपकंडिका (e) में अध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान अध्ययन मण्डल के पत्र दिनांक 28.02.2025 में "B.Sc. in Biological Sciences Shall be eligible for admission in M.Sc. Microbiology" समाहित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) सांख्यिकी अध्ययन मण्डल के निर्णयानुसार अध्यादेश क्र. 170 की कंडिका (2) की उपकंडिका (p) में "M.Sc. Data Science" नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष संशोधन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

Ordinance No.	Current provisions	Proposed Provisions	Justification
170	2	(e)For admission in Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Science at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.	Microbiology is also Allied subject .
	2	Not exits	(p) For Admission in M.Sc. Data Science a candidate should have a Bachelor's degree in Science /Art/Commerce at least 2 nd division with one paper Maths
			Start New Course M.Sc. Data Science

07. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2025 के पद क्रमांक-05 में लाईफ साईस संकाय के विषयों में पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णोपरांत विषय बदलकर पी.एच.डी. करने की अनुमति चाहने वाले छात्रों के पात्रता प्रकरण के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 04.04.2025 में की गई अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2025 के पद क्रमांक-05 में लाईफ साईस संकाय के विषयों में पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णोपरांत विषय बदलकर पी.एच.डी. करने की अनुमति चाहने वाले छात्रों के पात्रता प्रकरण के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 04.04.2025 में समिति द्वारा अभिमत दिया गया है कि :-

1. आगामी वर्ष से लाईफ साईस विषय में पी.एच.डी. प्रवेश हेतु एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाए जिसमें निम्नांकित विषय सम्मिलित होंगे :- बायो साईस, लाईफ साईस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी।
2. छात्रगण :- कु. साक्षी अग्रवाल, गिरधर साहू एवं आशुतोष सोनी ने चूंकि DRC के बाद पी.एच.डी. में प्रवेश ले लिए हैं। अतः छात्रहित को ध्यान रखते हुए कु. साक्षी अग्रवाल (जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णोपरांत बायोसाईस विषय में पी.एच.डी. हेतु अपात्र किया कर दिया गया है) सहित उक्त दोनों छात्रों के प्रवेश प्रकरण पर कुलपति जी से पुनर्विचार हेतु समिति द्वारा किए गए अनुशंसा पर विचारार्थ।
3. पात्रता प्रमाण-पत्र के प्रारूप में विगत कई वर्षों से वाक्यांश प्रचलित है कि- *“विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा वर्ष में सम्मिलित होने की पात्रता है बशर्ते कि आप विश्वविद्यालय की परीक्षा संबंधित अध्यादेश में प्रावधानित शर्तें तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुरूप सभी शर्तें पूर्ण करते हों।”*

उक्त वाक्यांश में “मुख्य परीक्षा” को सुस्पष्ट करते हुए छात्रों द्वारा आवेदित परीक्षा/कक्षा का नाम स्पष्ट लिखा जाना प्रस्तावित है जैसे :- एम.एस.सी.-गणित (प्रथम सेमेस्टर) एम.ए., पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आदि।

इसी तरह अंश “परीक्षा संबंधित अध्यादेश” में जोड़ा जाना है कि - “परीक्षा संबंधित अध्यादेश, पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश/विनियम” तथा अंश “उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत” में जोड़ा जाना है कि - “उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तथा पाठ्यक्रम से संबंधित नियामक संस्थान द्वारा प्रावधानित सभी शर्तें” पूर्ण करते हों।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

08. स्नातकोत्तर स्तर 2024-26 के पाठ्यक्रमों में उल्लेखित इंटरनशिप विश्वविद्यालय अध्ययनशाला अथवा संबद्ध समस्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए प्रभावशील किये जाने के संबंध में विचार करना।

09. बी.वॉक तदर्थ अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 12.04.2025 का कार्यवृत्त का अनुशंसा करना।

टीप: बी.वॉक. तदर्थ अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 12.04.2025 में आर.आई.टी.टी.ई.महाविद्यालय में प्रस्तावित बी.वॉक. (टूरिज्म एण्ड हास्पिटालिटी मैनेजमेंट) के पाठ्यक्रम पर उपस्थित सभी सदस्य विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि -

1. The Syllabus for B.Voc. in Tourism & Hospitality Management as submitted by RITEE, Dumartalab. Raipur is Duly approved;
2. The guidelines for faculty appointment, as per AICTE, for the above said course is attached herewith and provided to RITEE;
3. The Syllabus for B.Voc. in Tourism & Hospitality Management will be governed by Ordinance No. 188

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से निम्नांकित 11 नीतियों (Policy) को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक 650.A/अका./2023 दिनांक 09.09.2023 की सूचना ग्रहण करना-

1. Guidelines for Curriculum Feedback
2. Manual for Outcome based Curriculum framework
3. Policy on Slow and Advanced Learners

4

4. Policy on Recognizing and Rewarding Outstanding Achievements of Faculty, Staff and Students
 5. Institution Innovation Council Policy
 6. Code of Ethics for Research
 7. Code of Conduct for Faculty, Non-Teaching Staff, and Students
 8. Memorandum of Understanding (MoU) Policy
 9. University Cyber Policy (Information Technology Infrastructure Usage Policy)
 10. Placement Policy
 11. Guidelines for Alumni Cell
11. शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से निम्नांकित 16 नीतियों (Policy) को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक 2457/अका./2024 दिनांक 24.01.2024 की सूचना ग्रहण करना—
1. Institutional Research and Development Policy
 2. Policy on Establishing and Operationalizing the Central Instrument Facility (CIF)
 3. Environment and Energy Usage Policy
 4. Solid Waste and E-Waste Management Policy
 5. Fees Refund Policy
 6. Website Policy
 7. Plagiarism Policy
 8. Social-Extension (SE) Policy
 9. Publicity and Competitive Marketing Policy
 10. Student Support Policy
 11. Information Technology Infrastructure Usage Policy
 12. Policy on Biodiversity Compliance Cell (BCC)
 13. Policy on the Equal Opportunity Cell (EOC)
 14. Maintenance Policy
 15. e-governance Policy
 16. Resource mobilisation policy
12. NCTE के आदेश F.No.WRC/APP3442/B.Ed./407th/CG/2024/225624 Date : 06.11.2024 के द्वारा कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ग्राम—नरदहा, पोस्ट—नरदहा, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़ को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।
- टीप: NCTE के आदेश F.No.WRC/APP3442/B.Ed./407th/CG/2024/225624 Date : 06.11.2024 के द्वारा कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ग्राम—नरदहा, पोस्ट—नरदहा, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़ की सम्बद्धता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से आजनेय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया है।
- कुलसचिव, आजनेय विश्वविद्यालय, नरदहा, रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक AUR/Reg/04/25/892 दिनांक 08/04/2025 के अनुक्रम में कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ग्राम—नरदहा, पोस्ट—नरदहा, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़ को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करने की अनुमति चाही गई है। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
13. NCTE के आदेश F.No.WRC/APP1937/B.Ed./407th/CG/CN-51594/2024/225690 Date : 11.11.2024 के द्वारा कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम—नरदहा, पोस्ट—नरदहा, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़ को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।
- टीप: NCTE के आदेश F.No.WRC/APP1937/B.Ed./407th/CG/CN-51594/2024/225690 Date : 11.11.2024 के द्वारा कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम—नरदहा, पोस्ट—नरदहा, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़ की सम्बद्धता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से आजनेय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया है।

कुलसचिव, आंजनेय विश्वविद्यालय, नरदहा, रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक AUR/Reg/04/25/892 दिनांक 08/04/2025 के अनुक्रम में कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम-नरदहा, पोस्ट-नरदहा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करने की अनुमति चाही गई है। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. NCTE के Minutes of 407th Meeting of WRC HEALD on 23rd-24th September, 2024 मीटिंग में रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज ग्राम-धनेली, माना, रायपुर (छ.ग.) को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से असम्बद्ध किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: NCTE के Minutes of 407th Meeting of WRC HEALD on 23rd-24th September, 2024 मीटिंग में महाविद्यालय की सम्बद्धता पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से श्री रावतपुरा सरकार युनिवर्सिटी में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज ग्राम-धनेली, माना, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक Ref.No. SRSCE/Aff./2023-24, Date 08/11/2024 के द्वारा विश्वविद्यालय से असम्बद्ध करने का निवेदन किया गया है। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

15. "श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ" के प्रस्तावित विनियम पर विचार करना।

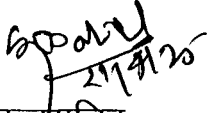
टीप: "श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ" के प्रस्तावित विनियम की छायाप्रति संलग्न।

16. पी-एच.डी. से संबंधित संशोधित अध्यादेश 45 के अनुक्रम में निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में विचार करना -

1. प्रत्याशियों को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते समय विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा प्रादेशिक आरक्षण नीति का समुचित ध्यान रखने पर विचार करना।
2. ऐसे शोध निदेशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं हैं। उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निदेशक के नजदीकी शोध केन्द्र में अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित शोध केन्द्र में किये जाने, किन्तु इस स्थिति में शोधार्थी को शोध केन्द्र से एक सह-निदेशक लेना अनिवार्य किए जाने पर विचार करना।
3. आरक्षण शोध निदेशक की ओर लागू होगा तथा सह-निदेशक पर उनके रिक्त सीट के आधार पर प्रवेश हेतु विचार करना।
4. Revised Ordinance-45 की कंडिका 10(g) के अनुसार निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में कार्यरत Scientist/Director/Research Officer/Equivalent position को विश्वविद्यालय Supervisor/Co-supervisor मान्य किये जाने के संदर्भ में विचार।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक- F.No.1-1/2018 (CARE/JOURNAL)- Part file 22 माघ 1946/11 February, 2025 के संबंध में चर्चा एवं विचार।
6. संशोधित अध्यादेश-45 में आवश्यक संशोधन एवं अध्यादेश के सुचारु क्रियान्वयन हेतु विनियम बनाने हेतु समिति गठित करने पर विचार।

17. सत्र सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए 'स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, अटारी, रायपुर' ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने पर विचार करना।

18. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव